एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

fo"k;&lph

		i"B l-
1.	निदेशक–मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट	2
3.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	5
4.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	7
5.	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	11
6.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा विवरण	12
7.	नकदी प्रवाह विवरण	13
8.	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियां	14

fun'kd&eMy ¼28-05-2015 dk½

श्री रोहित नन्दन vè;{k

श्री बी. एस. भुल्लर

श्री एस. वेंकट

y[kkijh{kd

मैसर्स झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स

itħÑr dk;ky;

एआरलाइन्स हाउस

113, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड

नई दिल्ली–110 001

funs'kdksa dh fjiksVZ

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित कंपनी की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

izpkyuhdj.k%

मूल कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड के निदेशक–मंडल ने दिनांक 07 अगस्त 2010 को आयोजित अपनी बैठक में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के प्रचालनीकरण को अनुमोदित कर दिया। प्रचालनीकरण के लिए केबिनेट नोट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। केबिनेट ने दिनांक 06 सितम्बर 2012 को एआईईएसएल के प्रचालनीकरण को अनुमोदित किया था। यह प्रस्तावित था कि केबिनेट के निर्णय के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड से परिसंपत्तियों एवं जनशक्ति को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में स्थानांतरित किया जाएगा। एयरबस और बोइंग विमान–बेड़े के अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) गतिविधियों के लिए इस कंपनी को एक पृथक लाभ केन्द्र माना जाएगा। दिनांक 1 फरवरी 2013 से प्रचालनीकरण की प्रक्रिया तदनुसार आरंभ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, एमआरओ गतिविधियों को आरंभ करने के लिए विभिन्न विनियामक एवं सांविधिक अनुमोदन/अनुपालन प्राप्त/पूरा करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

वर्ष 2013–14 के दौरान, कंपनी (एआईईएसएल) ने एअर इंडिया को अनुरक्षण तथा मरम्मत एवं ओवरहॉल सुविधाओं पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में अपनी मूल कंपनी अर्थात् एअर इंडिया लिमिटेड (एआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित भी शामिल है :

1. एअर इंडिया ने अपना अनुरक्षण, मरम्मत, ओवरहॉल कारोबार (अवसंरचना सहित) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।
2. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड भारत के नागर विमानन महानिदेशालय सहित सभी संबंधित सांविधिक तथा नियामक प्राधिकारियों से एमआरओ गतिविधियों को पूरा तथा निष्पादित करने के लिए सभी आवश्यक अनुमोदन/लाइसेंस आदि प्राप्त करेगी।
3. एअर इंडिया पहले तीन वर्षों के दौरान 375 करोड़ रुपए की कुल इक्विटी तथा वित्तीय वर्ष 2017 तक 974 करोड़ रुपए की सीमा तक पूंजी व्यय के लिए आवश्यक सहायता एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस को प्रदान करेगी।
4. एअर इंडिया एमआरओ से संबंधित अपनी सभी चल परिसंपत्तियां स्थानांतरित करेगी तथा एअर इंडिया द्वारा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित किए जाने वाली चल परिसंपत्तियों का मूल्य एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में की जा रही आरंभिक इक्विटी/निवेश का घटक तथा भाग होगा।
5. एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड प्रचालन के चौथे वर्ष अथवा पारस्परिक करार के अनुसार तीसरी पार्टी से अर्जित अपने श्रम राजस्व का 20% शेयर करेगी।

एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड (एएएसएल) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसके अनुसार एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड ने अपनी एमआरओ गतिविधियां (अवसंरचना सहित) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है और एयरलाइन एलाइड सर्विसेस लिमिटेड ने सभी एमआरओ कार्य के लिए अपने संपूर्ण बेड़े को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को सौंपने की प्रतिबद्धता पर सहमति प्रदान की है।

इसी तरह, वर्ष 2014–15 के दौरान एअर इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड (एआईसीएल) के साथ भी एक समझौता ज्ञापन किया गया है, जिसके अनुसार एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड ने अपनी एमआरओ गतिविधियां (संरचना सहित) एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया तथा एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड ने संपूर्ण एमआरओ कार्य के लिए अपने पूरे बेड़े को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को सौंपने की प्रतिबद्धता पर सहमति प्रदान की है।

अतः, एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के पास अवसंरचना तथा अन्य सपोर्ट के साथ–साथ एअर इंडिया समूह से प्रतिबद्ध व्यवसाय होगा। कंपनी ने 01 जनवरी 2015 की तारीख तक अपने साधनों की मरम्मत तथा ओवरहॉल के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया है। ईएएसए तथा एफएए के लिए सुविधाओं का प्रमाण–पत्र शीघ्र ही प्राप्त किया जाएगा।

ukxiqj esa vuqj{k.k] ejEer rFkk vkojgkWy ¼,evkjvks½ lqfoèkk

18 बी737, 23 बी777 तथा 27 बी787 को शामिल करते हुए 68 विमानों के बेड़े के लिए एअर इंडिया के साथ किए गए क्रय करार की प्रतिबद्धता के रूप में, बोइंग ने विमान अनुरक्षण के लिए आवश्यक कुछ उपस्कर/औज़ारों तथा विमानों एवं घटकों के अनुरक्षण

के लिए संबंधित ओवरहॉल शॉप सहित अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा के लिए 107 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 650 करोड़ रुपए) का निवेश किया है। इस सुविधा को कार्यात्मक बनाने के लिए एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा कम से कम 10 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 60 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त निवेश किया जाना अपेक्षित है।

एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा एमआरओ सुविधा सेट–अप करने हेतु नागपुर एअरपोर्ट के पास एसईजेड़ क्षेत्र में एमएडीसी से 99 वर्षों की पट्टे की अवधि पर 50 एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी। बोइंग ने सीबीआरई (सीबी रिचर्ड एलिस) को प्रोजेक्ट प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) तथा मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो को डिज़ाइन तथा बिल्ड (डी एण्ड बी) कॉन्ट्रेक्टर के रूप में चुना है।

निर्माण कार्य मार्च 2011 में आरंभ हुआ तथा इस सुविधा का आरंभ हो चुका है तथा यह सुविधा दिसम्बर 2014 में एअर इंडिया को सौंपी गई।

इस सुविधा में दो वाइड बॉडी हैंगर (प्रत्येकी 100 मीटर x 100 मीटर) सपोर्ट बिल्डिंग (लगभग 24000 वर्ग मीटर) ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर बिल्डिंग तथा अन्य विविध बिल्डिंग शामिल हैं। आरंभ में, केबिन सरवायवल उपस्कर/कॉम्प्रेस्ड गैस ऑक्सीजन शॉप जैसी कुछ बैक शॉप गतिविधियों के साथ–साथ बी777 मेजर चेक (सी चेक) का कार्य किए जाने का प्रस्ताव है।

हैंगर अंतरराष्ट्रीय मानक के हैं और एनएफपीए 409 अग्निशमन मानकों को पूरा करते हैं तथा मेकेनाइज्ड स्लाइडिंग डोअर, अंडरग्राउंड यूटिलिटी पिट्स, विमान केबिन कूलिंग, हैंगर वेंटिलेशन, बिल्डिंग प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) आदि जैसी सुविधाओं से लैस है।

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर वॉटर हीटर/स्ट्रीट लाइट जैसी अन्य परिधीय सुविधाएं हैं, जो प्रदूषण मुक्तता में योगदान देती हैं।

नागपुर सुविधा के लिए आवश्यक जनशक्ति की पहचान पहले ही की जा चुकी है। एअर इंडिया तथा तीसरी पार्टी के बेड़े की सर्विस करने के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को इन हैंगरों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।

tb,u,Dl@thb90 bt u vkojgky rFkk ijh{k.k lfoèkk dh LFkkiuk

एमआईएचएएन एसईज़ेड, नागपुर में इस अनुरक्षण, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा को पूरक बनाने के लिए एअर इंडिया लिमिटेड ने जीईएनएक्स–1बी इंजन (बी787 को पावर देने वाला) तथा जीई90 इंजन (बी777 को पावर देने वाला) के लिए 89 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 540 करोड़ रुपए) की अनुमानित लागत पर इंजन ओवरहॉल सुविधा का सेट–अप बनाने का निर्णय लिया है।

इस प्रोजेक्ट के 3 स्तर होंगे :

I जीई90 इंजन परीक्षण सुविधा को स्थापित करना (दिसम्बर 2015 तक पूरा होना अपेक्षित)

II जीईएनएक्स इंजनों के परीक्षण के लिए ऊपर उल्लिखित I का उन्नयन (दिसम्बर 2016 तक पूरा होना अपेक्षित)

III जीईएनएक्स/जीई90 इंजन ओवरहॉल वर्कशॉप को स्थापित करना (दिसम्बर 2017 तक पूरा होना अपेक्षित)

जीईएनएक्स इंजन ओवरहॉल सुविधा को स्थापित करने के लिए एअर इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किए गए करारों के अनुसार जीई एविएशन द्वारा एमआरओ क्रेडिट भत्ते के रूप में लगभग 64.5 मिलियन अमरीकी डॉलर (लगभग 390 करोड़ रुपए) प्रदान किए जाएंगे।

,vj bfM;k bthfu;fjx lfoll fyfeVM dk bu lfoèkkvk d mi;kx dk vfèkdkj ikIr gkxkA

foÙkh; fu"iknu %

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी व्यावसायिक संव्यवहार नहीं किए गए।

vU; foÙkh; lpuk %

'k;j ith %

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10,00,00,000/– रुपए है। कंपनी की 5,00,000/– रुपए (10/– रुपए प्रति के 50,000 इक्विटी शेयर) की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी एअर इंडिया लिमिटेड द्वारा सब्सक्राइब एवं प्रदत्त की गई है।

fon'kh enk e vtu %

कंपनी द्वारा कोई भी व्यावसायिक गतिविधि आरंभ न किए जाने के कारण समीक्षाधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा की कोई आय नहीं हुई है।

fun'kdk d nkf;Ro lcèkh oDr0; %

कंपनी का निदेशक–मंडल पुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है और इन लेखा मानको के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं किया गया है।

2. चयनित लेखांकन नीतियां संगत रूप से लागू की गई हैं एवं 31 मार्च 2014 को कंपनी के कार्यों की स्थिति एवं इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि को सही व निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से निदेशकों के निर्णय एवं आकलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड बनाए रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है और
4. वार्षिक लेखे 'गोइंग कंसर्न' आधार पर तैयार किए गए हैं।

y[kkijh{kd %

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए मैसर्स झावर मंत्री एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

fun'kd&eMy %

वर्ष के दौरान निदेशक–मंडल की चार बैठकें हुईं। 31 मार्च 2014 को बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :-

श्री रोहित नन्दन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एअर इंडिया लिमिटेड	अध्यक्ष
सुश्री एम. सत्यवती अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
श्री जी. अशोक कुमार संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	निदेशक
श्री एस. वेंकट निदेशक (वित्त) एअर इंडिया लिमिटेड	निदेशक

ekU;okn iLrko %

बोर्ड नागर विमानन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त सहायता एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
jkfgr uUnu
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 नवम्बर 2014

dःiuh vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 619¼4½ d vrxr ,vj bfM;k bthfu;fjx lfoll fyfeVM d 31 ekp 2014 dk lekIr o"k d y[kk ij Hkkjr d fu;«kd ,o egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k A

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए ,vj bfM;k bthfu;fjx lfoll fyfeVM ¼,vkbb,l,y½ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत् भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनकी दिनांक 02 दिसम्बर 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार उनके द्वारा ऐसा किया हुआ कहा गया है ।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(ख) के अंतर्गत एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखापरीक्षा की है। यह संपूरक लेखापरीक्षा, स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के दस्तावेज़ों के बिना तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों की जांच और कुछ लेखा खातों की चयनित जांच के साथ स्वतंत्र रूप से की गई है। अपनी संपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण मुददों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरे ध्यान में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबध्द लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक हैं :

foRrh; fooj.kk d Hkkx d :i e fVIif.k;k

अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र एंटिटि के रूप में एआईईएसएल को प्रचालनात्मक बनाने के लिए सितम्बर 2012 में केबिनेट के अनुमोदन के परिणामस्वरूप एआईईएसएल 1 फरवरी 2013 से प्रचालित की गई। इसके अनुसरण में एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) और एआईईएसएल के बीच संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिए 5 अप्रैल 2013 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौता ज्ञापन के अनुसार :

- एआईएल अपने एमआरओ व्यवसाय को भारत के विभिन्न लोकेशनों में इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन की तारीख को एआईईएसएल को स्थानांतरित कर देगा।
- एआईएल पहले तीन वर्षों के दौरान 375 करोड़ रुपए की कुल इक्विटी एआईईएसएल को उपलब्ध कराएगा तथा वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2017 तक 974 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय के लिए सहायता प्रदान करेगा।
- एआईएल अपनी तथा एआईएल की सहायक कंपनियों की एमआरओ यूनिट से संबंधित सभी चल परिसंपत्तियों को एआईईएसएल को स्थानांतरित कर देगा।
- एमआरओ सेवाएं उपलब्ध कराकर तीसरी पार्टी ग्राहक एअरलाइनों से अर्जित श्रम राजस्व की 20 प्रतिशत राशि के बराबर की राशि हर महीने एआईएल के साथ शेयर करने के लिए एआईईएसएल ने सहमति दर्शाई है।

चूंकि, यह वास्तविक सूचना है और समझौता ज्ञापन वित्तीय वर्ष 2013–14 में हुआ था, अतः इसे वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना चाहिए था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता./–

ijek lu
प्रधान निदेशक–वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II, मुंबई

स्थान : मुंबई
तारीख : 07 मई 2015

31 ekp 2014 dk lekIr o"k d fy, diuh d y[kk ij diuh vf/kfu;e] 1956 dh /kkjk 619¼4½ d vrxr Hkkjr d fu;a«kd ,o egky[kkijh{kd dh fVIif.k;k ij ic/ku d mRrjA

y[kk&ijh{kk fVIif.k;k	ic/ku d mRrj
अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र एंटिटि के रूप में एआईईएसएल को प्रचालनात्मक बनाने के लिए सितम्बर 2012 में केबिनेट के अनुमोदन के परिणामस्वरूप एआईईएसएल 1 फरवरी 2013 से प्रचालित की गई। इसके अनुसरण में एअर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) और एआईईएसएल के बीच संबंधों को औपचारिक रूप देने के लिए 5 अप्रैल 2013 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार : • एआईएल अपने एमआरओ व्यवसाय को भारत के विभिन्न लोकेशनों में इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन की तारीख को एआईईएसएल को स्थानांतरित कर देगा। • एआईएल पहले तीन वर्षों के दौरान 375 करोड़ रुपए की कुल इक्विटी एआईईएसएल को उपलब्ध कराएगा तथा वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2017 तक 974 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय के लिए सहायता प्रदान करेगा। • एआईएल अपनी तथा एआईएल की सहायक कंपनियों की एमआरओ यूनिट से संबंधित सभी चल परिसंपत्तियों को एआईईएसएल को स्थानांतरित कर देगा। • एमआरओ सेवाएं उपलब्ध कराकर तीसरे पक्षकार ग्राहक एअरलाइनों से अर्जित श्रम राजस्व की 20 प्रतिशत राशि के बराबर की राशि हर महीने एआईएल के साथ शेयर करने के लिए एआईईएसएल ने सहमति दर्शाई है । चूंकि, यह वास्तविक सूचना है और समझौता ज्ञापन वित्तीय वर्ष 2013–14 में हुआ था, अतः इसे वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना चाहिए था।	एअर इंडिया तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार "एमआरओ सेवाएं तथा तत्संबंधी अन्य बाध्यताओं को पूरा तथा निष्पादित करने के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड, नागर विमानन महानिदेशालय सहित सभी संबंधित सांविधिक तथा विनियामक प्राधिकारियों/एजेंसियों से सभी आवश्यक अनुमोदन/लाइसेंस/अनुमतियां/क्लीयरेंसेस प्राप्त करेगी, परंतु यह नागर विमानन महानिदेशालय तक सीमित नही होगा"। वर्ष 2013–14 के दौरान एआईईएसएल, नागर विमानन महानिदेशालय के अनुमोदन/लाइसेंस अर्थात नागर विमानन नियम 145, जो भारत में एमआरओ के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण है, के न होने के कारण एमआरओ के रूप में कार्य आरंभ नहीं कर सकी । वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एअर इंडिया के लेखों पर टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 69(ग) के अनुसार लेखों में हाइव–ऑफ प्रक्रिया के संबंध में प्रकटन किया गया है कि वर्ष के अंत तक यह पूरा नहीं किया जा सका तथा एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा संकलित इन सेवाओं के संबंध में राजस्व तथा व्यय एअर इंडिया बहियों में शामिल किया जाना जारी है । वर्ष 2013–14 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, जो वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है, में इस बारे में उपयुक्त प्रकटन किया गया है।

,vj bfM;k bthfu;fjx lfolsl fyfeVM ds lnL;ks ds fy, ys[kkijh{kdks dh fjiksV

foÙkh; fooj.kks ij fjiksV

हमने ,vj bfM;k bthfu;fjx lfolsl fyfeVM (''कंपनी'') के दिनांक 31 मार्च 2014 के तुलन–पत्र, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण सहित संलग्न वित्तीय विवरणों और महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा नीतियों के सार और अन्य स्पष्ट सूचना की लेखापरीक्षा की है, जिस पर इस रिपोर्ट के संदर्भ के अधीन हमने हस्ताक्षर किए हैं।

foÙkh; fooj.kks ds fy, icaèku dh ftEesnkjh

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 (''अधिनियम'') के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसरण में कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा वित्तीय निष्पादन का सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं। इन दायित्वों में वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल है, जो सही और निष्पक्ष विवरण दर्शाते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

ys[kkijh{kdks dh ftEesnkjh

हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करना होता है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों तथा अन्य लागू प्राधिकृत निर्णयों के अनुसरण में की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है।

लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के तथ्यपरक गलत विवरण की जोखिमों के निर्धारण सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर हैं, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हैं। ऐसे जोखिम मूल्यांकन में लेखापरीक्षक उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा सही प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के बारे में विचार करता है, न कि एंटिटि के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर राय व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण आकलनों की युक्तिसंगतता के साथ–साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार देने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त हैं।

gekjh jk;

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सही एवं निष्पक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं:

1. तुलन–पत्र के मामले में, 31 मार्च 2014 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का;
2. लाभ और हानि विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि का; और
3. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का।

vU; fofèkd vkSj fofu;kded vis{kkvks ij fjiksV

1. अधिनियम की धारा 227 की उप–धारा (4क) के संदर्भ में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा यथासंशोधित, जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित, हम कथित आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण, अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर रहे हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (।) के खंड (छ) के संबंध में दिनांक 31 मार्च 2014 को क्या निदेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से वंचित रखा गया है, इसकी रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह दिनांक 21.10.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ङ) के संबंध में सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

3. जैसाकि अधिनियम की धारा 227(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारी राय में, जहां तक इन लेखा–बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित लेखा–बहियां रखी हैं;

ग. हमारी राय में, इस रिपोर्ट में शामिल तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण लेखा–बहियों से मेल खाते हैं;

घ. हमारी राय, में तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर 2013 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 के साथ पठित अधिनियम के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं;

ङ. चूंकि, केन्द्र सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441क के तहत किस दर से शुल्क का भुगतान किया जाए और न ही उक्त धारा के तहत कोई नियम जारी किया है कि किस प्रकार से ऐसे शुल्क का भुगतान किया जाए, अतः कंपनी के ऊपर कोई शुल्क देय नहीं है।

Ñr >koj e=h ,.M ,lkfl,V~l
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं.113221डब्ल्यू)

हस्ता./–
ch-ih- e=h
(भागीदार)
सदस्यता सं. 45701

स्थान : नवी मुंबई
तारीख : 02 दिसम्बर 2014

Lor= y{[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk vuqyXud

gekjh le fnukad dh fjiksVZ ds **vU; fof/kd ,oa fu;ked vko';drkvksa ij fjiksVZ** 'kh"kZ ds varxZr vuqPNsn ¼1½ esa fufnZ"V

1. कंपनी के पास कोई स्थिर परिसंपत्तियां नहीं हैं। तदनुसार खंड लागू नहीं है।
2. कंपनी कोई व्यापार अथवा उत्पादन संबंधी कार्य नहीं कर रही है। तदनुसार इन्वेंटरी संबंधी खंड लागू नहीं है।
3. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से या उनको कंपनी द्वारा प्रदान किए गए अथवा लिए गए रक्षित अथवा अरक्षित ऋणों के संबंध में :
   - क) कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी एअर इंडिया लिमिटेड से अरक्षित ऋण लिए हैं। वह केवल एक पार्टी है और ऋण की राशि 10,30,423 रुपए है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को कंपनी ने रक्षित या अरक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।
   - ख) कंपनी द्वारा लिए गए इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर और अन्य निबंधन एवं शर्तें प्रथम दृष्ट्या कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।
4. चूंकि, वर्ष के दौरान, इन्वेंटरी और स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद तथा वस्तु के विक्रय तथा सेवाओं से संबंधित कोई गतिविधियां नहीं हुई हैं, इसलिए यह खंड लागू नहीं है।
5. विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने की आवश्यकता हो। तदनुसार यह खंड लागू नहीं है।
6. वर्ष के दौरान कंपनी ने जनता से कोई आवधिक जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
7. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को इस खंड के अनुसार औपचारिक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है।
8. हमें दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 209 की उप धारा (।) के खंड (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है।
9. क) चूंकि, कंपनी के प्रचालन अभी आरंभ होने शेष है, इसलिए अधिकांश सांविधिक प्रावधान लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2014 को उनके देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक समय के लिए कोई भी अन्य अविवादित सांविधिक देयताएं बकाया नहीं हैं।
   - ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, सेवा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेस (उप कर) की कोई भी देयता बकाया नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।
10. कंपनी को 10,33,349/– रुपए की संचित हानि हो रही है, जो इसके निवल मूल्य के 50% से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी को 31,059/– रुपए की नकद हानि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 21,480/– रुपए की नकद हानि हुई थी।
11. कंपनी पर वित्तीय संस्था, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों की कोई उधारी नहीं है। तदनुसार यह खंड लागू नहीं है।
12. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई भी ऋण अथवा अग्रिम मंजूर नहीं किया है।
13. कंपनी कोई चिट फंड या कोई निधि/म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। इसलिए कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।
14. विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों और अन्य निवशों में कोई लेन–देन अथवा व्यापार नहीं किया है। तदनुसार खंड लागू नहीं है।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई आवधिक ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलन–पत्र की समग्र जांच के आधार पर हमारा मत है कि अल्पकालिक आधार पर ऐसा कोई फंड नहीं बनाया गया है, जिसे दीर्घकालिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया हो।
18. कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन (प्रीफेरेंशियल अलॉटमेंट) नहीं किया है।
19. कंपनी ने वर्ष के दौरान डिबेंचर जारी करके कोई धन इकट्ठा नहीं किया है।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है।
21. हमारी जानकारी और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर और उसके द्वारा फ्रॉड (कपट) की घटना न तो देखी गई है और न ही रिपोर्ट की गई है।

Ñr >koj e=h ,.M ,lkfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.113221 डब्ल्यू

हस्ता./–
¼ch-ih- e=h½
भागीदार
सदस्यता सं. 045701

स्थान : नवी मुंबई
तारीख : 02 दिसम्बर 2014

31 ekp 2014 dh fLFkfr d vulkj ryu i=

¼jkf'k #i, e½

fooj.k		fVIi.kh l-	31 ekp 2014 dk	31 मार्च 2013 को
I.	bfDoVh rFkk n; rk,i			
	'k;j /kkjdk dh fuf/k;k			
	शेयर पूंजी	2	**500,000**	500,000
	आरक्षिति तथा अधिशेष	3	**(1,033,349)**	(1,002,290)
	गैर–चालू देयताएं			
	दीर्घकालिक ऋण	4	**1,030,423**	980,881
	चालू देयताएं			
	अन्य चालू देयताएं	5	**22,472**	21,409
	dqy		**519,546**	**500,000**
II.	ifjlEifÙk;k			
	pkyw ifjlEifÙk;k			
	नकद तथा नकदी समानक	6	**519,546**	500,000
	dqy		**519,546**	500,000
	महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

वित्तीय विवरणों के लिए संलग्न टिप्पणियां देखें
हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

>koj e=h ,.M ,lkfl,Vl
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 113221डब्ल्यू

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
¼ch-ih- e=h½
भागीदार
सदस्यता सं.: 045701

हस्ता./–
¼jkfgr uUnu½
अध्यक्ष

हस्ता./–
¼,l- odV½
निदेशक

हस्ता./–
¼v:.k d- tu½
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
¼jtuhdkUr½
कंपनी सचिव

हस्ता./–
¼,p-vkj- txUukFk½
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नवी मुंबई
तारीख : 02 दिसम्बर 2014

स्थान : दिल्ली
तारीख : 26 नवम्बर 2014

31 ekpZ 2014 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk rFkk gkfu dk fooj.k

¼jkf'k #i, eas½

fooj.k	fVIi.kh la-	2013-14	2012-13
I. प्रचालन से राजस्व		**-**	-
II. dqy jktLo (I)		**-**	-
III. 0;; %			
अन्य व्यय	**7**	**31,059**	21,480
कुल व्यय		**31,059**	21,480
IV. vlk/kkj.k ,oa vlkekU; enksa ,oa dj iwoZ ykHk (II-III)		**(31,059)**	(21,480)
V. असाधारण मदें		**-**	-
VI. vlkekU; enksa rFkk dj iwoZ ykHk (IV-V)		**(31,059)**	(21,480)
VII. असामान्य मदें		**-**	-
VIII. dj iwoZ ykHk (VI-VII)		**(31,059)**	(21,480)
IX. कर व्यय :			
चालू कर		**-**	-
आस्थगित कर		**-**	-
X. vof/k ds fy, ykHk ¼gkfu½ (VIII-IX)		**(31,059)**	(21,480)
XI. प्रति इक्विटी शेयर आय :			
मूल और तनुकृत	**9**	**(0.62)**	(0.43)

वित्तीय विवरण के लिए संलग्न टिप्पणियां देखें
हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

>koj eqjkjh ,.M ,lksfl,V~l
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 113221डब्ल्यू

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
¼ch-ih- eqjkjh½
भागीदार
सदस्यता सं.: 045701

हस्ता./–
¼jksfgr uUnu½
अध्यक्ष

हस्ता./–
¼,l- oudV½
निदेशक

हस्ता./–
¼v:.k dq- tSu½
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
¼jktuh dkUr½
कंपनी सचिव

हस्ता./–
¼,p-vkj- txUukFk½
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नवी मुंबई
तारीख : 02 दिसम्बर 2014

स्थान : दिल्ली
तारीख : 26 नवम्बर 2014

31 ekpl 2014 dks lekIr o"kl ds fy, udnh iokg fooj.k

¼jkf’k #i, esa½

	fooj.k	2013-14		2012-13
1	ipkfyr xfrfof/k;ksa ls udnh iokg			
	कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	(31,059)		(21,480)
	चालू देयताओं में परिवर्तन	1,063		(15,566)
	ipkyu xfrfof/k ls fuoy udnh iokg		(29,996)	(37,046)
2	fuof’kr xfrfof/k ls udnh iokg	-		-
3	foÙkh; xfrfof/k ls udnh iokg			
	शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त राजस्व	-		-
	दीर्घावधि ऋण में परिवर्तन	49,542		37,046
	foÙkh; xfrfof/k;ksa ls fuoy udnh iokg		49,542	37,046
	udn rFkk udnh lekudksa esa fuoy of)@¼deh½		19,546	-
	udn@udnh lekudksa dk vFk’k"k		500,000	500,000
	udn@udnh lekudksa dk vr’k"k		519,546	500,000

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

>koj eq=h ,.M ,lksfl,V~l
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 113221डब्ल्यू

हस्ता./–
¼ch-ih- eq=h½
भागीदार
सदस्यता सं.: 045701

स्थान : नवी मुंबई
तारीख : 02 दिसम्बर 2014

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
¼jksfgr uUnu½
अध्यक्ष

हस्ता./–
¼,l- oSdV½
निदेशक

हस्ता./–
¼v:.k dq- tSu½
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
¼j tuhdkUr½
कंपनी सचिव

हस्ता./–
¼,p-vkj- txUukFk½
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : दिल्ली
तारीख : 26 नवम्बर 2014

31 ekp 2014 dk lekIr o"k d foÙkh; fooj.kk d Hkkx d :i e fVIif.k;k

fVIi.kh ^1* % egÙoi.k y[kkdj.k uhfr;k

1- foÙkh; fooj.kk dk r;kj dju dk vk/kkj %

वित्तीय विवरण सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मूल लागत रीतियों के तहत तैयार किए गए हैं। कंपनी, लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का अनुसरण करती है।

लेखे ''गोइंग कंसर्न'' के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2- pky dj rFkk vkLFkfxr dj d fy, iko/kku%

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए चालू कर, यदि कोई हो, तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है। तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित की गई कर दरों और विधियों का प्रयोग करके बही खातों और कर योग्य लाभों के बीच के "समय के अंतर" के आधार पर आस्थगित कर को लेखांकित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जाती है और उन्हें एक निश्चित सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है, जिससे वास्तव में यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

fVIi.kh ^2* % 'k;j iwth

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	31 ekp 2014 dk		31 मार्च 2013 को	
	l[;k	jkf'k #i, e	संख्या	राशि रुपए में
d½ ikf/kÑr bfDoVh 'k;j				
10 रुपए प्रति के इक्विटी शेयर	**9,000,000**	**90,000,000**	9,000,000	90,000,000
100 रुपए प्रति के प्रेफेरेन्स शेयर	**100,000**	**10,000,000**	100,000	10,000,000
dy		**100,000,000**		100,000,000
[k½ tkjh] vfHknÙk rFkk inÙk				
10 रुपए प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**50,000**	**500,000**	50,000	500,000
dy		**500,000**		500,000

x½ 'k;jk dk lek/kku	pky o"k		पिछला वर्ष	
	'k;jk dh l-	jkf'k	शेयरों की सं.	राशि
bfDoVh 'k;j				
आरंभ में बकाया शेयर	**50,000**	**500,000**	50,000	500,000
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी	**-**	**-**	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी	**-**	**-**	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**50,000**	**500,000**	50,000	500,000

?k½ gkfYMx diuh] lgk;d difu;k rFkk ,lkfl,Vl d ikl 'k;jk dk fooj.k	31-3-2014 dk lekIr o"k		31.3.2013 को समाप्त वर्ष	
	ifr'kr	'k;jk dh l[;k	प्रतिशत	शेयरों की संख्या
gkfYMx diuh d 'k;j				
एअर इंडिया लिमिटेड	**100%**	**50,000**	100%	50,000

M-½ e[; 'k;j /kkjdk dk fooj.k] ftud ikl mDr tkjh iwth d 5 ifr'kr l vf/kd 'k;j g	pky o"k		पिछला वर्ष	
'k;j /kkjd dk uke	'k;jk dh l-	/kkfjr dk ifr'kr	शेयरों की सं.	धारित का प्रतिशत
एअर इंडिया लिमिटेड	**50,000**	**100**	50,000	100
	50,000	**100**	50,000	100

fVIi.kh *3* % vkjf{kfr rFkk vf/k'k"k

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	31 ekp 2014 dk	31 मार्च 2013 को
ykHk rFkk gkfu [kkrs e vf/k'k"k		
अथशेष	**(1,002,290)**	(980,810)
(+) चालू वर्ष के लिए निवल हानि	**(31,059)**	(21,480)
dqy	**(1,033,349)**	(1,002,290)

fVIi.kh *4* % nh?kkof/k _.k

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	31 ekp 2014 dk	31 मार्च 2013 को
lcf/kr ikVhZ dk vf{kr _.k		
होल्डिंग कंपनी से :		
एअर इंडिया लिमिटेड	**1,030,423**	980,881
(ब्याज की दर– शून्य, पुनर्भुगतान शर्तें – शून्य)		
dqy	**1,030,423**	980,881

fVIi.kh *5* % vU; pkyw nk;rk,a

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	31 ekp]2014 dk	31 मार्च 2013 को
देय व्यय	**22,472**	21,409
dqy	**22,472**	21,409

fVIi.kh *6* % udn rFkk udnh lekud

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	31 ekp 2014 dk	31 मार्च 2013 को
बैंकों के पास शेष		
चालू खातों में	**519,546**	500,000
dqy	**519,546**	500,000

fVIi.kh *7* % vU; 0;;

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	**2013-14**	2012-13
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक (टिप्पणी संख्या 8 देखें)	**11,236**	11,236
विधिक, व्यावसायिक तथा फाइलिंग शुल्क	**19,169**	10,244
बैंक प्रभार	**654**	-
dqy	**31,059**	21,480

fVIi.kh *8* % y[kkijh{kdk dk Hkqxrku

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	2013-14	2012-13
सांविधिक लेखापरीक्षा	**10,000**	10,000
सेवा कर की प्रतिपूर्ति	**1,236**	1,236
dqy	**11,236**	11,236

fVIi.kh *9* % ifr 'k;j lq vk; ¼bZih,l½

¼jkf'k #i, e½

fooj.k	31 ekpZ 2014 dk	31 मार्च 2013 को
लाभ एवं हानि खाते (रुपए) के अनुसार कर पश्चात निवल लाभ	**(31,059)**	(21,480)
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	**50,000**	50,000
वर्ष के दौरान बकाया		
मूल एवं तनुकृत आय/(हानि) प्रति शेयर (रुपए)	**(0.62)**	(0.43)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	**10**	10

fVIi.kh *10* % vkLFkfxr dj

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''लेखाकरण मानक 22 – आय पर कर के लिए लेखाकरण'' के अनुसार, विश्वास योग्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित ऐसी कोई वास्तविक निश्चितता नहीं है कि भविष्य में कर योग्य पर्याप्त आय होगी, जिसके लिए आस्थगित कर की वसूली की जा सकती है। अतः वर्तमान वर्ष में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की गई।

fVIi.kh *11*

एआईएल (एअर इंडिया लिमिटेड) के लिए टीएपी (टर्न अराउंड प्लान) में इंजीनियरी सेवा व्यवसाय अलग करके सहायक कंपनी एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड (एआईईएसएल) को सौंपने का प्रस्ताव किया गया था। टीएपी/एफआरपी के भाग के रूप में एअर इंडिया ने इंजीनियरी गतिविधियों के लिए कर्मचारियों को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड में स्थानांतरित किया।

एमआरओ सेवाओं के लिए स्वतंत्र एंटिटि के रूप में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को प्रचालनात्मक बनाने के लिए केबिनेट अनुमोदन के परिणामस्वरूप इस संबंध को औपचारिक रूप प्रदान करने हेतु 05 अप्रैल 2013 को एअर इंडिया लिमिटेड तथा एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड से संबंधित परिसंपत्तियों तथा जनशक्ति एवं अन्य सहायता आदि के साथ–साथ एअर इंडिया अपना एमआरओ व्यवसाय एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड को स्थानांतरित करेगी। तथापि, परिसंपत्तियां एवं कर्मचारियों का रिकॉर्ड एअर इंडिया लिमिटेड के खाता बहियों में रखना जारी रहेगा।

हालांकि, अलग करने की प्रक्रिया वर्ष के अंत तक पूरी की जानी है, एमआरओ सेवाओं से संबंधित राजस्व तथा व्यय की प्रविष्टि एअर इंडिया लिमिटेड के लेखों में रखना जारी रहेगा।

किसी भी, टर्नओवर अथवा प्राप्तियों के अभाव में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441 (क) के अधीन किसी उपकर का भुगतान करने अथवा उपलब्ध कराने के लिए कोई जवाबदेही नहीं है।

fVIi.kh *12* % lacaf/kr ikVhZ dk izdVu

¼jkf'k #i, esa½

lacaf/kr ikVhZ ls o"kZ ds nkSjku ysu&nsu dk Lo:i	gkfYMax daiuh	dqy
व्यय प्रतिपूर्ति	**49,542**	**49,542**
	(37,046)	(37,046)
31 मार्च 2014 को अरक्षित ऋण शेष	**1,030,423**	**1,030,423**
	(980,881)	(980,881)

lacaf/kr ikVhZ ds lkFk lac/k rFkk fooj.k] uke

Øe la[;k	lac/k	ikVhZ dk uke
1	होल्डिंग कंपनी	एअर इंडिया लिमिटेड

fVIi.kh *13*

संशोधित अनुसूची VI प्रोफार्मा के अनुसार चालू वर्ष में प्रस्तुत करने हेतु पुष्टि, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, गत वर्ष के आंकड़ो का समूहीकरण या पुनःवर्गीकरण किया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

>koj e=h ,.M ,lkfl,V~l
के लिए एवं उनकी ओर से
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 113221डब्ल्यू

हस्ता./–
¼ch-ih- e=h½
भागीदार
सदस्यता सं.: 045701

बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता./–
¼jksfgr uUnu½
अध्यक्ष

हस्ता./–
¼,l- oadV½
निदेशक

हस्ता./–
¼v:.k d- tSu½
वित्त प्रमुख

हस्ता./–
¼jtuh dkUr½
कंपनी सचिव

हस्ता./–
¼,p-vkj- txUukFk½
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नवी मुंबई
तारीख : 02 दिसम्बर 2014

स्थान : दिल्ली
तारीख : 26 नवम्बर 2014